जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

56/14

मुन्तकिली प्रकरण सं0 56/2014 सन्दीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 59 जीबी तहसील अनूपगढ बनाम 1–सुनील चुघ पुत्र ठाकरदास जाति अरोडा निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ 2– ग्राम पंचायत रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रामसिंहपुर 3–तहसीलदार अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31–3–2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र तहसीलदार, अनूपगढ के न्यायालय में लंबित पत्रावली सं0 2498 दिनांक 24.07.2014 अनवानी ग्राम पंचायत रामसिंहपुर बनाम सन्दीपसिंह बाबत चक 59 जीबी तहसील अनूपगढ के मु0न0 68 के 3.024 हे0 भूमि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर पेश किया है। चूंकि तत्कालीन तहसीलदार, अनूपगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी सन्दीप सिंह द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, अनूपगढ को भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

694
6-4-16

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर